सिणधरी

08.5.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत आयोजित अटल सेवा केन्द्र ग्रा.पं. धु. होडू में पेश हुई। पक्षकारान को जरिये लोक अदालत नोटिस बाद तामील ज्ञात हुए। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी की बहस सुनी गई। न्यायहित में आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल है।

आदेश पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

ाजस्व लोक अदालत अभियान–

न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र होड़ू)

पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स. 35/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1..हीरा वल्द डूंगरा 2.कोशला वल्द डूंगरा 3.हरखा वल्द डूंगरा जाति जाट निवासी–लूखों की ढाणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1.नवलाराम वल्द देवारा 2.भैराराम पुत्र अमराराम जाति सुथार 3.रावताराम वल्द ताजाराम 4.खेताराम पुत्र ताजाराम 5.दौलाराम पुत्र पदमाराम 6.नानगाराम पुत्र पदमाराम 7.उदा वल्द जीया 8.खेराज वल्द जीया 9.हरजी पुत्र जीया 10.मालाराम पुत्र देवाराम 11.चेतनराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी लूखों की ढाणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर 12.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री डालूराम चौधरी,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2 पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार सिणधरी) विप्रार्थी सं.12 की ओर से उपस्थित।

3. विप्रार्थी स.1 से 11 एकरतफा।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

आदेश

दिनांक–08.05.2018

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम लूखों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 1478,1485,1489 व 1526 क्रमशः रकबा 46–07,40–03,69–09 एंव 21–08 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम लूखों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 1478,1485,1489 व 1526 क्रमश रकबा 46–07,40–03,69–09 एंव 21–08 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 से 11 बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी सं.12 की ओर से जवाब पेश नही किया गया।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम लूखों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 1478,1485,1489 व 1526 क्रमशः रकबा 46–07,40–03,69–09 एंव 21–08 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम लूखों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 1478,1485,1489 व 1526 क्रमशः रकबा 46–07,40–03,69–09 एंव 21–08 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावें जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम लूखों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 1478,1485,1489 व 1526 रकबा क्रमशः 46–07 ,40–03 ,69–09 एंव 21–08 बीधा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2070 से 2073 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थी स.1 से 11 बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थी स.1 से 11 को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर **ग्राम लूखों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 1478,1485,1489 व 1526 क्रमशः रकबा** 46–07 ,40–03 ,69–09 एंव 21–08 **बीधा** भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान की पूर्व में तहसीलदार सिणधरी कार्यवाही करें। प्रार्थी नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क वहन करेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर समा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 08-05-18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner